58 III/पुनर्विलोकन/रीवा/2017/3469

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खण्ड पीठ रीवा (म0प्र0)

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र क.....

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

101

शंकरलाल उर्फ शंकर यादव तनय देवी प्रसाद यादव उम्र 49 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम क्योटी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

————आवेदक/पुनर्विलोकनकर्ता

बनाम

1— प्रेमनाथ मिश्रा तनय बालमीक मिश्रा उम्र 56 वर्ष, पेशा कृषि, निवासी ग्राम क्योटी, तहसील सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0

2— शासन म0प्र0

————रेस्पाडेण्टगण

आवेदक शंकरलाल यादव द्वारा पेश किया गया। 23.9.17

माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी याचिका प्रकरण क0—R 5424/दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन आवेदन पत्र।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नांकित है :—

1— यह कि यह पुनर्विलोकन याचिका माननीय न्यायालय के निगरानी प्रकरण क0—R5424/दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जा रहा है।

2— यह कि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.06.2017 के पैरा क0—02 में यह निष्कर्ष दिया गया है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी एक वर्ष से अधिक के विलंब से प्रस्तुत की गई है, आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नही दर्शाये गये है, जिसमें विलंब माफ किया जा सके, समया विधि वाह्य प्रकरण में दिन—प्रतिदिन के विलंब का समाधान कारण दर्शाया जाना चाहिये, निष्कर्ष में यह भी दिया गया है कि आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के सम्बन्ध

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/3469

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
07-03-18	आवेदक अधिवक्ता श्री शंकरलाल यादव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 5424–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 20.06.17 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/3469 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 5424–दो/16 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 20.06.17 से किया जा चुका है। 4–प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/3469 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

प्रकरण कमांक तीन/रिव्यु/रीवा/भूरा/2017/3469

उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य